श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 62

1. योजना: श्रम एवं रोजगार सांख्यिकीय पद्धति (एलईएसएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**
25.00	**1.** सर्वेक्षण आंकड़ों का समय से एकत्र एवं जारी करना	1.1 2019-20 में स्वीकृत सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या	3 सर्वेक्षण, 5 रिपोर्ट	1. जनता को रोजगार, बेरोजगारी, वेतन, आय तथा उत्पादकता से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराना।	1.1 वेबसाइट पर विशिष्ट विजिटर्स की संख्या	#[1]
		1.2 पूर्ण सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या	3 सर्वेक्षण, 5 रिपोर्ट		1.2 रिपोर्टों के लिए प्राप्त रोजगार आंकड़े प्राप्त करने के लिए अनुरोधों की संख्या	#
		1.3 समय पर पूर्ण सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या	3 सर्वेक्षण, 5 रिपोर्ट		1.3 इकाई स्तर के लिए प्राप्त रोजगार आंकड़े प्राप्त करने के लिए अनुरोधों की संख्या	#
	2. क्षमता निर्माण	2.1 कुल अधिकारियों में से सर्वेक्षणों के प्रशासन हेतु	450	2. कार्यालय कार्य में आईटी टूल्स के प्रयोग को	2.1 आईटी टूल्स का प्रयोग करके किए	सीपीआई-आईडब्ल्यू आधारित अद्यतन

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**
		आईटी टूल्स के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित श्रम ब्यूरों के अधिकारियों की संख्या		बढ़ावा देना.	गए सर्वेक्षणों की संख्या	में ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग
		2.2 श्रम ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या **(**प्रोबेशनर्स सहित**)**	673			
	3. ज्ञान सृजन	3.1 जारी प्रकाशनों की संख्या	28			
		3.2 प्रकाशनों को डाउनलोड करने की संख्या	#			

[1]#: संख्या सहजनुगामी नहीं है इसलिए अनुरोध मांग संचालित होते हैं।

2. योजना: श्रम कानूनों के बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, प्रभावी प्रवर्तन हेतु तंत्र, मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2018-19**	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**
0.00*	**1.** श्रम कानूनों के बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करना	1.1. कुल प्राप्त विवादों में से निपटाए गए औद्योगिक विवादों की संख्या	8478	**1.** श्रम कानूनों के बेहतर सुलह, निवारक मध्यस्थता, प्रभावी प्रवर्तन	1.1. कुल निरीक्षित प्रतिष्ठानों में से अनुपालन नहीं करते पाए गए प्रतिष्ठानों की संख्या	37298
		1.2. श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रतिष्ठानों के निरीक्षणों की संख्या	37298			
		1.3. कुल दावा मामलों में से निपटाए गए दावा मामलों कीं संख्या	6362		1.2. 12 माह से पुराने लंबित दावा मामलों का वर्ष के अंत में कुल लंबित दावा मामलों का प्रतिशत	18.30
		1.4. कुल प्रशिक्षित कार्मिकों में से प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	139			

*: स्थापना व्यय में अंतरण

3. कारखानों, पत्तनों और गोदियों (सीएस) में डीजीफासली संगठन और ओएसएच का सशक्तिकरण और विकास

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	**उत्पाद**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2020-21**	**परिणाम**	**संकेतक(कों)**	**लक्ष्य 2020-21**
0.00 (स्थापना व्यय में अंतरण व्यय को अंतरण)	**संघटक I** **कारखानों, पत्तनों और गोदियों में डीजीफासली और ओएसएच का सशक्तिकरण**					
	1. सीएलआई मुंबई में एकीकृत ज्ञान केन्द्र (आईकेसी) का निर्माण आरंभ करना	1.1. सीएलआई मुंबई में एकीकृत ज्ञान केन्द्र (आईकेसी) का निर्माण	1.1 स्थानीय प्राधिकरणों से योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त करना 1.2 सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित निधियों का अनुमोदन प्राप्त करना	1 ऐसे कामगारों वर्गों को नियोजित करने वाले इन क्षेत्रों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानक बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों की सामान्य जानकारी बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रदेय वस्तुएं विकसित करना	1.1. ओएसएच संबंधी जागरुकता सृजित करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों की संख्या	
	2. ओएसएच के क्षेत्र में डीजीयूवी जर्मनी और अन्य देशों के साथ तकनीकी	2.1. दर्शन शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया	1	2. कारखानों, पत्तन और गोदियों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा और	2.1 कारखानों, पत्तन और गोदियों में कामगारों की दुर्घटनाओं की संख्या	परिमाणित नहीं किया जा सकता है
					2.2. कामगारों की घातक दुर्घटनाओं की	परिमाणित नहीं किया जा सकता

	सहयोग			स्वास्थ्य सुनिश्चित करना	संख्या	है
	3. ओएसएच पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना	2.2. आयोजित किए गए सेमिनार/कार्यशालाएं	2	3. विभिन्न उद्योग खंडों से ओएसएच संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ पद्धतियों का साझाकरण	3.1. भागीदारी करने वाले संगठनों की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू)	1
	4. प्रमाणन प्रणाली के अधीन सुरक्षा लेखा-परीक्षकों का प्रशिक्षण	3.1. प्रशिक्षित सुरक्षा लेखा-परीक्षक	प्रस्ताव विचाराधीन है			
	5. पत्तनों में निरीक्षण	4.1. निरीक्षण किए गए पोतों/भण्डारघरों/घाटों/बर्थों/अधिष्ठापनों/ साज-सामग्रियों की संख्या	1600	4. पत्तनों में ओएसएच में सुधार	4.1 जारी किए गए सुधार के नोटिसों/चेतावनियों की संख्या/अभियोजन की संख्या	परिमाणित नहीं किया जा सकता है

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2020-21			परिणाम 2020-21		
	संघटक II **क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास**					
	1. प्रयोगशालाओं की स्थापना	1.1. स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या	डीजीफासली संगठन के सभी क्षेत्रीय श्रम संस्थानों में 1 आरटीएल और एनआरटीएल प्रयोगशाला तथा 1 पर्यावरणीय इंजीनियरिंग प्रयोगशाला स्थापित करना	1. एमएसएमई और रासायनिक प्रक्रिया उद्योग की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का विकास करना।	1.1. सेवा प्राप्त करने वाले एमएसएमई के एककों की संख्या	10
	2. अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	2.1. ओएसएच के क्षेत्र में विशेष कौशलों वाले प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	इस निदेशालय की संख्या पर पदासीन सभी अधिकारी		1.2. प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	इस निदेशालय की संख्या पर पदासीन सभी अधिकारी

	3. अध्ययन/सर्वेक्षण/लेखा-परीक्षाएं	3.1. कराए गए सर्वेक्षणों की संख्या	40		1.3. प्रशिक्षित मालिक/प्रबंधकों की संख्या	250
		3.2 शामिल उद्योगों की संख्या	40		1.4. एमएसएमई एककों में दुर्घटनाओं की संख्या	परिमाणित नहीं किया जा सकता है
	4. अल्पावधि एवं दीर्घावधि कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या	4.1 अल्पावधि एवं दीर्घावधि कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या	3500	2. प्रशिक्षित पर्यवेक्षक, प्रबंधक और कामगार	2.1 ओएसएच के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित 200 कामगार/पर्यवेक्षक/प्रबंधक	3500
	5. एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (PDIS) के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.1. एक वर्षीय डिप्लोमा लेने वाले लोगों की संख्या	250	3. प्रशिक्षित सुरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता	3.1 प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की संख्या	250
	6. एमएसएमई प्रबंधकों और मालिकों के लिए प्रशिक्षण	6.1. प्रशिक्षित प्रबंधकों और मालिकों की संख्या	लक्ष्य सहज प्राप्य नहीं हैं			
	7. संयंत्र के भीतर प्रशिक्षण	7.1. संयंत्र के भीतर कराए गए प्रशिक्षणों की संख्या	20			
	8. आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएंशालाओं की संख्या	8.1 आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं की संख्या	05			

	शशालाएं	a. सेमिनार/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने वाले लोगों की संख्या	500			
	9. ओएसएच पर फिल्म	9.1. ओएसएच पर फिल्म का विमोचन	1	4. ओएसएच का प्रचार	4.1. ओएसएच पर बनी फिल्म को देखने वाले लोगों की संख्या	6000
	10. एएफआईएच पाठ्यक्रम	10.1. एएफआईएच पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों की संख्या	300	5. प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता	5.1 प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या	300
	11. जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षी कार्मिकों के लिए पांच सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	11.1. पांच सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम करने वाले लोगों की संख्या	100	6. जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों के लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की उपलब्धता	6.1 जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों के लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की संख्या	100
	संघटक III **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए शिलोंग में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना**					

	1.आरएलआई, शिलोंग के भवन का निर्माण आरंभ	1.1. कें.लो.नि.वि. द्वारा भवन के निर्माण की शुरुआत (हां/नहीं)	1.1 प्रशासनिक खण्ड को पूरा करना 1.2 छात्रावास खण्ड को पूरा करना 1.3 भूमिगत सम्प तथा अन्य नागरिक विकास कार्य एवं लिफ्ट, सड़क प्रकाश-व्यवस्था आदि जैसी अन्य सुविधाओं का कार्य पूरा करना।	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना	1.1.पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एमएमएमई इकाईयों में दुर्घटनाओं की संख्या	परिमाणित नहीं किया जा सकता है
				2. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एमएमएमई इकाईयों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या	2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एमएमएमई इकाईयों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या	परिमाणित नहीं किया जा सकता है
				3. प्रशिक्षित पर्यवेक्षक, प्रबंधक और कामगार	3.1 कामगारों/पर्यवेक्षकों/प्रबंधकों की संख्या जिन्हें ओएसएच के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा।	120

4. वर्ष 2020-2021 के लिए डीजीएमएस की प्रणाली एवं अवसंरचना का सशक्तिकरण (एसएसआईडी) (पूर्व में खान दुर्घटना विश्लेषण और सूचना डेटाबेस का आधुनिकीकरण तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय की अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मूल कार्यों का सशक्तिकरण)।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उत्पाद 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	आउटपुट	सूचक	लक्ष्य 2020-21	परिणाम	सूचक	लक्ष्य 2020-21
	1.खान सुरक्षा के संबंध में ज्ञान सृजन	1.1 तैयार किए गए दुर्घटना विश्लेषण के संबंध में रिपोर्ट की संख्या	80	1.खानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए जोखिम और खतरा मुक्त कार्य स्थिति और कल्याण प्राप्त करना	1.1 खान सूचना डेटाबेस का परिचालन करना (हां/नहीं)	हां
		1.2 सतर्कता संकेत (अलर्ट) और परिपत्र की संख्या (सभी घातक दुर्घटना विश्लेषण, आदि के आधार पर) जारी किए गए	25		1.2 घातक दुर्घटनाओं की संख्या	0
		1.3 कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस सहित आधुनिक खदान दुर्घटनाओं और खदान सूचना डेटाबेस और उसके लिए अवसंरचना विकसित करना	एक सॉफ्टवेयर का विकास करना		1.3 गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	0
		1.4 राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठन को उजागर करके निरीक्षण / सुरक्षा लेखा-परीक्षा,	20		1.4 खान में दुर्घटनाओं की कुल संख्या	0

		दुर्घटना जांच आदि पर डीजीएमएस अधिकारियों का प्रशिक्षण।				
		1.5 प्रकशित रिपोर्टों की संख्या	3		1.5 निरीक्षण किए गए खानों की संख्या (संख्या)	7460
		1.6 महानिदेशक के तकनीकी अनुदेशों और परिपत्रों की संख्या और तकनीकी और अन्य मामलों पर नए अनुदेशों और परिपत्रों के मुद्दों की समीक्षा की गई।	10		1.6 खान अधिनियम 1952 के गंभीर गैर-अनुपालन के लिए जारी किए गए नोटिस और आदेश की संख्या	0
		1.7 श्रम सुविधा पोर्टल के विभिन्न विकास पर कार्यशालाओं और सेमिनारों की संख्या, विकसित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का उपयोग, दुर्घटना की जांच, वार्षिक रिटर्न, जीईएमके माध्यम से अधिप्राप्ति आदि।	6		1.7 किए गए कुल सर्वेक्षणों की संख्या में से सिलिकोसिस (एनआईएमएच सर्वेक्षण) से ग्रसित कामगारों का प्रतिशत	शून्य
		1.8 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) का आयोजन (हां /नहीं)	हां		1.8 खदान में कार्यरत प्रति एक हजार व्यक्ति पर दुर्घटना की दर (गंभीर और घातक दुर्घटना दोनों के लिए)	0.22(कोयला) .32 (गैर-कोयला) से कम
		1.9 आयोजित सुरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी की सुविधा	24		1.9 दशकीय औसत की तुलना में गंभीर	दशकीय औसत की

		पर प्रशिक्षण की संख्या			दुर्घटना की संख्या में बदलाव का प्रतिशत	तुलना में < 3% का बदलाव
		1.10 राज्य सरकारों की सहायता से छोटी खानों में सुरक्षा जागरूकता पर आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	24		1.10 घातक दुर्घटनाओं और मृत्यु की संख्या में दशकीय औसत की तुलना में % परिवर्तन	दशकीय औसत में < 3% परिवर्तन
		1.11 डीजीएमएस अधिकारियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सेमीनारों, सम्मेलनों आदि में भेज कर प्रशिक्षण/सेमीनारों आदि के माध्यम से ओएचएस एवं तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण	40			
		1.12 खानों की संख्या और छोड़ी गई खान योजनाओं का डिजीटाइजेशन किया गया	500			
		1.13 उपयुक्त मानकों, प्रोटोकॉल्स तथा जारी किए गए दिशा निर्देशों को प्रदान करके खान औद्योगों का समर्थन करने के लिए खनन के प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर 24 खानों में वैज्ञानिक अध्ययनों की संख्या	24			

		1.14 खानों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर जारी किए गए परिपत्र/दिशानिर्देश/मानक/ प्रोटोकॉल्स	8
		1.15दिशानिर्देशों/मानकों/प्रोटोकॉल्स, नई प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मामलों के विकास पर और अन्य विषयों पर आयोजित कार्यशालाओं और सेमीनारों की संख्या	2
		1.16 कम्प्यूटर आधारित सांविधिक परीक्षाओं की संख्या	4
		1.17 एमएसएचए द्वारा प्रशिक्षित मध्य स्तर के प्रबंधन अधिकारियों, कामगार निरीक्षकों, कामगारों तथा अन्य की संख्या	100
		1.18कुल खानों में से श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए निरीक्षित खानों की संख्या	निरंतर प्रक्रिया

5. श्रम कल्याण स्कीम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट्स 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2020-21**	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2019-20**
150.00	1.बीड़ी/एलएसडीएम/अभ्रक/आईओएमसी/सिने कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए शिक्षा, आवास, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियाँ आयोजित करना।	1.1 शिक्षा: बीड़ी/सिने और खान कामगार कल्याण निधियों[2] के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्तियों की संख्या	400000	1.बीड़ी/ सिने कामगारों एवं एलएसडीएम तथा आईओएमसी खनिकों को शिक्षा, आवास, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ प्रदान करना।	1.1 शिक्षा: बीड़ी/सिने और खान कामगार कल्याण निधियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्तियों की संख्या	400000
		1.2 आवास: आवासीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पात्र लाभार्थियों (बीड़ी/एलएसडीएम/अभ्रक/आईओएमसी /सिने कामगार) को दूसरी और तीसरी किस्त की निर्मुक्ति	29613		1.2 आवास: कुल कामगारों में से पात्र लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत आवासों की संख्या	20424

		1.3 स्वास्थ्य: कुल कामगारों[3] में से स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं		1.3 स्वास्थ्य: कुल कामगारों में से स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं

[2] यह प्राप्त किए गए आवेदनों पर निर्भर करती है इसलिए लक्ष्य अनंतिम हो सकते हैं।

[3] यह प्राप्त किए गए आवेदनों पर निर्भर करती है इसलिए लक्ष्य अनंतिम हो सकते हैं।

6. असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना [4](सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**	**परिणाम**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**
200	1. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और बीपीएल से सीमांत रूप से ऊपर के लोगों को बीमा लाभ प्रदान करना	1.1. इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं।	1. असुरक्षित आबादी को सामाजिक सुरक्षा।	1.1. मृत्यु के कारण योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं।
		1.2. कुल दावों का प्रतिशत जिसे निपटाया गया था।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं।		1.3. अशक्तता के कारण योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं।
	2. लाभ के प्रावधानों में सामर्थ्य	2.1. प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण के माध्यम से निपटाए गए दावों का प्रतिशत।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं।	2. दावे अल्पावधि में निपटाए जा रहे हैं।	2.1. इस योजना के तहत दावों को निपटाने के लिए आवश्यक दिनों की औसत संख्या।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं।
		2.2. एलआईसी द्वारा अपने स्तर पर निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत।	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं।			

2020 ,मार्च 31 [4]के बाद इस योजना के बंद हो जाने की संभावना है। प्राप्त किए गए दावों का लक्ष्य भी तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक बीमा पॉलिसी है और केवल मृत्यु या दुर्घटना के बाद ही लाभार्थियों द्वारा दावा दर्ज किया जाता है। इसके बजाय, प्राप्त किए गए दावों के निपटान के लिए लक्ष्य तय किया जा सकता है।

7. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में(	आउटपुट 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	आउटपुट	सूचक	लक्ष्य 2020-21	परिणाम	सूचक	लक्ष्य 2020-21
7457.00	1. पेंशन के प्रावधान	1.1. लाभार्थी सदस्य पेंशनरों की संख्या	129915			
		1.2. दिव्यांग	41			
		1.3. विधवाविधुर /	51316			
		1.4. मातापिता-	1525			
		1.5. नामांकित	55			
		1.6. बच्चे	30858			
		1.7. अनाथ	733			
		1.8 जीवन प्रमाणपत्र - आधारित डिजिटलआधार के (एएडीएचएएआर) -माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	80%			

8. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में(	आउटपुट 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य 2018-19**	**परिणाम**	**सूचक**	**लक्ष्य 2020-21**
40.10	1. मृतक सदस्यों के परिवार को दिया गया पारिवारिक पेंशन योजना का प्रावधान	1.1 लाभार्थियों की कुल संख्या	100000	1. परिवार पेंशन दावों का समय पर संवितरण	1.1 कुल संवितरण का समय पर वितरण का %	100
	2. सेवा में रहते हुए मरने वाले मृत सदस्यों के परिवार को जमा बद्ध बीमा योजना का प्रावधान	2.1 लाभार्थियों की कुल संख्या	2120	2. जमा बद्ध बीमा दावों का समय पर संवितरण	2.1 कुल संवितरण का समय पर वितरण का %	100

9. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसमें स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रम को सहायता की प्रतिपूर्ति शामिल है

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में(	आउटपुट 21-2020			परिणाम 21-2020		
21-2020	आउटपुट	सूचक	लक्ष् 21-2020	आउटपुट	सूचक	लक्ष्य 21-2020
120.00	1. बाल श्रम से बचाए गए बच्चों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना	1.1. बाल श्रम से हटाए गए और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला लेने वाले 9-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या ।	50000	1. सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन।	1.1. बाल श्रम में बच्चों की अनुमानित संख्या।	50000
		1.2. उन बच्चों की संख्या जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में एक कोर्स पूरा कर लिया है	50000		1.2. बाल श्रम से हटाए गए बच्चों की संख्या।	50000
		1.3. परिचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या।	100			
		1.4. क्लेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बनाई गई परियोजना सोसाइटियों की संख्या	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी			
		1.5. उन बच्चों की संख्या जिनकों मुख्य धारा शिक्षा में नामांकित किया गया है और माह के बाद 6	औपचारिक शिक्षा प्रणाली में 50000 बच्चे मुख्य धारा में हैं।			

		भी निरंतर शिक्षा ले रहेहैं				
	2. देश में बाल श्रम के निगरानी करना और पता लगाना	2.1. बाल श्रम निगरानी, पता लगाना और रिपोटिंग प्रणाली का सृजन (हां/नहीं)	हां	2. खतरनाक व्यवसायों / प्रक्रियाओं से सभी किशोर कामगारों को हटाना तथा उपयुक्त व्यवसायों में उनको कौशल प्रदान करना और जोड़ना	खतरनाक 2.1 प्रक्रियाओं से /व्यवसायों हटाए गए किशोर श्रमिकों की संख्या	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी
		2.2. उन जिलों की संख्या ,जिनमें खतरनाक व्यवसायों और अखतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चोंकिशोरों / की संख्या के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया।	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी		2.2. रोजगारपरककौशल / प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रविष्ट किशोर श्रमिकों की संख्या	
						यह आंकड़ा राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।
	3. बंधुआ श्रमिकों को छोड़ना और सहायता का प्रावधान	3.1. उन जिलों की संख्या , जिनमें खतरनाक व्यवसायों और अखतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत किशोरों की संख्या के /बच्चों संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण करायागया।	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी	3. बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास करना	3.1 छोड़े गए पुनर्वासित श्रमिकों की संख्या राज्य द्वारा किए गए) (दावों के आधार पर	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं है।
		3.2. 19-2018 # के दौरान बंधुआ श्रमिक पुनर्वास ,बच्चे) ट्रांसजेंडर ,दिव्यांगजन ,महिलाएं	2182			

		के अंतर्गत प्रारंभिक (पुरुष और पुनर्वास के लिए छोड़े जाने पर दी गई नकद राशि के लाभार्थियों की संख्या				
		3.3. उन मामलों की संख्या जहां पर निर्णय दिया गया है वर्ष के) अंत में कुललंबित मामलों में से)	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी			
		3.4. कुल लंबित मामलों में से दी गई दोषसिद्धियों की संख्या वर्ष के अंत में कुल लंबित) मामलों में से)	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी			

*ये आंकडे एनसीएलपी सोसाइटियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हैं।

#यह मांग संचालित स्कीम हैलक्ष्य अनुमानित हैं। दिए गए ,

10. योजना: रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट्स 21-2020			परिणाम 21-2020		
21-2020	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 21-2020	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 21-2020
17.00	क. अजाअजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन,पूर्व में अजा) केन्द्र (एनसीएस) अजजा के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा/)					
	1. जॉब ढूंढने वाले अजाअजजा की / रोजगारपरकता में वृद्धि करना	1.1. उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें रोजगारपरक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श सेवाएं दी गई है।	140000	1.जॉब ढूंढने वाले अजाअजजा अभ्यर्थियों की / रोजगारपरकता में वृद्धि	1.1. अजाअजजा / अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी रोजगारपरकता में वृद्धि हुई।	4300
		1.2. जॉब ढूंढने वाले उन अजाअजजा अभ्यर्थियों की / संख्या जिन्हें टाइपिंग और शार्टहैंड का प्रशिक्षण दिया गया है।	11000			
		1.3. अजाअजजा अभ्यर्थियों की / संख्या जिन्हें विशेष कोचिंग योजना के अंतर्गत भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया गया।	1300			
स्थापना व्यय		1.4. अजाअजजा अभ्यर्थियों की / संख्या जिन्हें कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया	3000			

में अंतरण	**ख (पूर्व में रोजगार वृद्धि योजना) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा .**					
	1. वीआरसी के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं	1.1 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें पुनर्वास सेवा के लिए परामर्श दिया गया।	32000	1. दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास	1.1 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या जिनका आर्थिक रूप से पुनर्वास किया गया।	11500
		1.2 उपयुक्तता का आकलन करने के लिए मूल्यांकित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या	31000			
	ग. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना[5+]					
	1. प्रतिष्ठानों , कर्मचारियों और सहायक वित्तीय प्रक्रमणों को पहचान देना	1.1 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं	रोजगार सृजन और नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए नियोजकों को प्रोत्साहन देना।	1.1 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं
		1.2 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं			
		1.3 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित प्रतिष्ठानों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं			
255000.	**घ. राष्ट्रीय कैरियर सेवा #**					
	1. नियोजकों और नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के लिए डिजिटल मंच उपलब्ध कराना।	1.1 पंजीकृत नौकरी के इच्छुकों की संख्या	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी	.1राष्ट्रीय कैरियर सेवा : राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एक डिजिटल पोर्टल की परिकल्पना देती है जो नौकरी को इच्छुकों और नियोजकों को	1.1. जुटाई गई नौकरियों की संख्या	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी
		1.2 पंजीकृत नियोजकों की संख्या	वास्तविक			

79.39			संख्या सूचित की जाएगी	कुशल और ,गतिशील प्रतिक्रियात्मक रूप में नौकरी के मिलान के लिए नौकरी के इच्छुकों और नियोजकों के लिए राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन मंच - प्रदान करता है।		
		1.3 जुटाई गई रिक्तियों की संख्या	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी			
		1.4 वेबसाइट पर विशिष्ट हिटों की संख्या	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी			
		1.5 आयोजित किए गए नौकरी मेलों की संख्या	वास्तविक संख्या सूचित की जाएगी			

11. प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना [6]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2020-21			परिणाम 2020-21		
2020-21	आउटपुट	सूचक	लक्ष्य 2020-21	परिणाम	सूचक	लक्ष्य 2020-21
180.00	1.खुदरा व्यापारी समुदाय को पेंशन सेवा प्रदान करना।	1.1 उन अभिदाताओं की संख्या जो इस वित्तीय वर्ष में शामिल हुए हैं।	50 लाख	1. समावेशी सामाजिक सुरक्षा	1.1 पेंशन पा रहे लाभार्थियों की संख्या	6
		1.2 कुल अभिदाताओं की संख्या (वर्तमान वित्तीय वर्ष तक संचयी संख्या)	24868(31.12.2019 की यथास्थिति)			
	2. लाभ के प्रावधान में दक्षता	2.1 जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी अभियानों पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत(बजटीय 62.25 करोड़ रूपये में से)	1.7% (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)	2. योजना की स्कीम बेहतर कार्यशीलता	2.1. सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	6
					2.2. सुलझाई गई शिकायतों का प्रतिशत	100%
		2.2 इस योजना के लिए सीएससी में सम्मिलित होने वाले लाभार्थियों की संख्या	24868 (31.12.2019 की स्थिति के			
		2.3 इस वित्तीय वर्ष में आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या	28 बैठकें (31.12.2019 की स्थिति के			

[6]व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को शुरू की गई। 12.09.2019

.12प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना[7]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**आउटपुट 2020-21**			**परिणाम 2020-21**		
2020-21	**आउटपुट**	**सूचक**	**लक्ष्य**	**परिणाम**	**सूचक**	**लक्ष्य**
500.00	**1. असंगठित कामगारों को पेंशन सेवाएं प्रदान करना**	1.1 उन अभिदाताओं की संख्या जो इस वित्तीय वर्ष में शामिल हुए हैं।	**एक करोड़**	1. समावेशी सामाजिक सुरक्षा	1.1 पेंशन पा रहे लाभार्थियों की संख्या	0
		1.2 कुल अभिदाताओं की संख्या (वर्तमान वित्तीय वर्ष तक संचयी संख्या)	**3992298 (31.12.2019 स्थिति के अनुसार)**			
	2. लाभ के प्रावधान में दक्षता	2.1 जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी अभियानों पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत	**5.6%**	2. योजना की स्कीम बेहतर कार्यशीलता	2.1. प्राप्त शिकायतों की संख्या	27
		2.2 इस योजना के लिए सीएससी में सम्मिलित होने वाले लाभार्थियों की संख्या	3992298 (31.12.2019 स्थिति के अनुसार)		2.2 सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	27

		2.3 इस वित्तीय वर्ष में आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या	42 (31.12.2019 तक)		2.3. सुलझाई गई शिकायतों का प्रतिशत	100%

[7]वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदत्त निधि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। 20-2019लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकेंगे जब यथा निवेदित अतिरिक्त निधि दी जाएगी।